

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन के 3 वर्ष

प्रलम्बिस के लयि:

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन (ABDM), DPDP अधनियम, 2023, डजिटल स्वास्थय प्रोत्साहन योजना (DHIS), राष्ट्रीय चकितिसा आयोग, राष्ट्रीय दंत चकितिसा रजसिटर (NDR) ।

मेन्स के लयि:

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन (ABDM) की मुख्य वशिषताएँ और संबधति चुनौतयिँ ।

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्योँ?

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन (ABDM) ने 27 सतिंबर को अपनी तीन वर्ष की यात्रा पूरी कर ली, जसिका उद्देश्य स्वास्थय सेवा में पहुँच, दक्षता और पारदर्शता बढाकर देश के डजिटल स्वास्थय सेवा इकोसिस्टम में क्रांति लाना है ।

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन (ABDM) क्या है?

परचिय:

- इसे वर्ष 2021 में सभी भारतीय नागरकिँ को डजिटल स्वास्थय ID प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च कयिा गया था ताक अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरकिँ को आवश्यकता पडने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थय रकिँर्ड तक पहुँचने में सहायता मलि सके ।
- स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थय प्राधकिरण (NHA) ABDM की कार्यान्वयन एजेंसी है ।

ABDM की मुख्य वशिषताएँ:

- नागरकिँ के लयि वशिषित स्वास्थय पहचानकर्त्ता: प्रत्येक वयक्त्त के लयि वशिषित स्वास्थय ABHA ID, जो स्वास्थय रकिँर्ड को संगरहीत और प्रबंधति करने हेतु मज़बूत व भरोसेमंद पहचान स्थापति करती है ।
- स्वास्थय सेवा वयवसायी रजसिटरी (HPR): आधुनकि और पारंपरकि चकितिसा पद्धतयिँ में स्वास्थय सेवा प्रदान करने में संलग्न सभी स्वास्थय वयवसाययिँ का वयापक संग्रह, जो भारत के डजिटल स्वास्थय इकोसिस्टम से जुडने में सक्षम बनाएगा ।
- स्वास्थय सुवधि रजसिटरी (HFR): अस्पतालों, क्लीनकिँ, प्रयोगशालाओं और फार्मेसयिँ सहति चकितिसा की सभी प्रणालयिँ में सार्वजनकि एवं नजी स्वास्थय सुवधिओं का एक वयापक भंडार ।
- एकीकृत स्वास्थय इंटरफेस (UHI): यह स्वास्थय सेवाओं की तलाश और प्रदायगी को सुगम बनाता है, जसिसे स्वास्थय सेवा संबधी अंतःक्रयिँ सुव्यवस्थति होती हैं और सेवा तक पहुँच में सुधार होता है ।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: DPDP अधनियम, 2023 के अनुरूप, ABDM की संघीय संरचना रोगी के स्वास्थय से संबधति जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और उसके सुरक्षति साझाकरण को सुनशिचति करती है ।
- पारदर्शता: यह वयक्त्तयिँ को सार्वजनकि और नजी दोनों तरह की स्वास्थय सेवाओं तक पहुँच कायम करने का वकिल्प प्रदान करती है, दशानरिदेशों का अनुपालन सुनशिचति करती है तथा मूल्य नरिधारण व जवाबदेही में पारदर्शता को बढावा देती है ।

ABDM की महत्त्वपूर्ण पहल:


- सकैन और शेरर: एक क्युआर-कोड आधारति OPD पंजीकरण सेवा है, जसिसे रोग उक्त सुवधि के क्युआर कोड को सकैन कर सकते हैं और अपनी जनसांख्यकिीय जानकारी साझा कर सकते हैं । इससे पंजीकरण काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आती है तथा अधूरे और गलत डेटा की प्रवशिषति होने में कमी आती है ।
- डजिटल स्वास्थय प्रोत्साहन योजना (DHIS): डजिटल स्वास्थय प्रोत्साहन योजना (DHIS) अस्पतालों, नैदानकि प्रयोगशालाओं और डजिटल स्वास्थय समाधान प्रदाताओं को वभिनिन प्रोत्साहन के माध्यम से परविरतनकारी डजिटिलीकरण प्रथाओं को अपनाने के लयि प्रोत्साहति करती है ।
- नजी क्षेत्र के अपनाने के लयि माइक्रोसाइट: माइक्रोसाइट पहल का उद्देश्य वशिष रूप से नजी क्षेत्र के प्रदाताओं के लयि ABDM अपनाने की दशिा में वभिनिन चुनौतयिँ से नपिटना है, इसके तहत 100 के प्रारंभकि लक्ष्य को पार करते हुए 106 माइक्रोसाइटों को सफलतापूर्वक परचालति कयिा गया है ।

- **एंड टू एंड ABDM अपनाने का परीक्षण:** इस परीक्षण का उद्देश्य पूरे भारत में वभिन्न सुविधाओं के स्तर पर सार्वजनिक और नजी सुविधाओं को एंड टू एंड ABDM अपनाने के माध्यम से डिजिटल बनाना है तथा भविष्य के प्रयासों के लिये मानक के रूप में आदर्श सुविधाओं की स्थापना करना है।
- **नए पोर्टल:** NHA ने **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** के लिये **राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMC)** और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा परिषद के लिये **राष्ट्रीय दंत चिकित्सा रजिस्टर (NDR)** जैसे पोर्टल भी विकसित किये हैं।

नोट:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार **शीर्ष** नकिया है।
- इसकी स्थापना **2 जनवरी 2019** को **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत की गई थी।

//



आयुष्मान भारत डिजिटल मशिन (ABDM) की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **ABHA ID:** सितंबर 2024 तक **67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA)** बनाए गए हैं, जो नागरिकों को सुरक्षित पहुँच और स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने के लिये विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करेंगी।
 - इसके अतिरिक्त, 42 करोड़ से अधिक **स्वास्थ्य रिकॉर्ड ABHA** से जोड़े गए हैं, जिससे चिकित्सा इतिहास तक सहज पहुँच संभव हुई है और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में वृद्धि हुई है।
- **एकीकरण:** प्रयोगशालाओं, फार्मसियों और डिजिटल समाधान कंपनियों सहित 236 से अधिक **नजी संस्थाओं** ने अंतर-परिचालन को समर्थन देने के लिये **ABDM इकोसिस्टम** के साथ एकीकरण किया है।
 - **एमएस दिल्ली व एमएस भोपाल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र** संस्थान स्कैन और शेयर OPD पंजीकरण बनाने की दशा में शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता के रूप में उभरे हैं।
 - अग्रणी **नजी स्वास्थ्य सेवा शृंखलाओं** ने भी ABDM की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री (NHPR):** NHPR के शुभारंभ के साथ, 3.3 लाख स्वास्थ्य सुविधाओं और 4.7 लाख स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का पंजीकरण हुआ है।
 - NHPR पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक भंडार है।

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन (ABDM) से संबंधित प्रमुख चर्चाएँ क्या हैं?

- **सीमिति डजिटल ढाँचा:**
 - कई ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्र अवशिवसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम डजिटल साक्षरता से ग्रस्त हैं, जिससे ABDM के साथ प्रभावी जुड़ाव तथा पहुँच में बाधा आ रही है।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा चर्चाएँ:**
 - स्वास्थ्य अभिलेखों के डजिटलीकरण से डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और सहमतिप्रबंधन के वषिय में चर्चाएँ उत्पन्न होती हैं तथा संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा में चुनौतियाँ उजागर होती हैं।
- **लागत एवं संसाधन आवंटन:**
 - उच्च कार्यान्वयन लागत व बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिये अपर्याप्त सरकारी वित्तपोषण के कारण छोटे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और चिकित्सकों के लिये ABDM को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- **वनियामक और कानूनी ढाँचा:**
 - डजिटल स्वास्थ्य के लिये विकसित हो रहे वनियामक ढाँचे, जिसमें अस्पष्ट डेटा संरक्षण कानून और रोगी सहमति दिशानिर्देश शामिल हैं, स्वास्थ्य डेटा स्वामित्व एवं प्रबंधन के संबंध में जवाबदेही व ज़िम्मेदारी में अस्पष्टता उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह

- **डजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना:** ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ाने में नविश किया जा सकता है ताकि ABDM तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके। दूरसंचार प्रदाताओं के साथ सहयोग से मज़बूत डजिटल नेटवर्क की स्थापना में सहायता मिल सकती है।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना:** गोपनीयता संबंधी चर्चाओं को दूर करने के लिये व्यापक डेटा सुरक्षा वनियम और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना। सख्त सहमतिप्रबंधन ढाँचे को लागू करने से संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा करने और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास बनाने में सहायता मिलेगी।
- **बढ़ी हुई फंडिंग और संसाधन आवंटन:** ABDM के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये पर्याप्त सरकारी संसाधन आवंटित करना, विशेष रूप से छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये। इसमें बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- **एक स्पष्ट वनियामक ढाँचा स्थापित करना:** एक सुसंगत और व्यापक वनियामक ढाँचा तैयार करना जो डेटा सुरक्षा कानून, रोगी सहमति दिशानिर्देश व जवाबदेही उपायों को परभाषित करता है। इससे स्वास्थ्य डेटा स्वामित्व और प्रबंधन के वषिय में ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट होंगी, जिससे एक सुरक्षित व भरोसेमंद डजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टिभेन्न प्रश्न:

प्रश्न: आयुष्मान भारत डजिटल मशिन (ABDM) के प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिये और भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिये?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[[[?]]]]:

प्रश्न. आयुष्मान भारत डजिटल मशिन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर वचिार कीजिये:

1. प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिये।
2. चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सर्वजनीन व्यापता है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हसिसा हो जाना चाहिये।
3. यह पूरे देश में नरिबाध रूप से लागू किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/3-years-of-ayushman-bharat-digital-mission>

